राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़

क्रमाक एफ 03( )/13/आ.मो.नि./सहा./2025/1093 दिनांक 29/09/2025

–: प्रशासनिक स्वीकृति :–

शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.8(32)आ.प्रएवं.सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2025/17945762 दिनांक 24.09.2025 से प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 109/2025–26 के द्वारा मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन/आंगनबाड़ी भवन की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु कुल 567 विद्यालय भवनों एवं 472 आंगनबाड़ी भवनों को स्वीकृत किया गया है। जिसके अनुसरण में निम्नानुसार तात्कालिक अस्थाई मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) से प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

विद्यालय भवनों हेतु:– (राशि लाखों में)

क्र.स.	विभाग का नाम	कार्यो की संख्या	राशि
1	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक ब्लॉक व तहसील अकलेरा	62	124.00
2	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक ब्लॉक व तहसील बकानी	69	138.00
3	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक ब्लॉक व तहसील भवानीमण्डी	86	172.00
4	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक ब्लॉक व तहसील डग	60	120.00
5	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक ब्लॉक व तहसील झालरापाटन	72	140.12
6	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक ब्लॉक व तहसील खानपुर	63	126.00
7	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक ब्लॉक व तहसील मनोहरथाना	72	144.00
8	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक ब्लॉक व तहसील सुनेल	83	166.00
	कुल योग	**567**	**1130.12**

आंगनबाड़ी भवनों हेतु:– (राशि लाखों में)

क्र.स.	विभाग का नाम	कार्यो की संख्या	राशि
1	महिला एवं बाल विकास उपखण्ड अकलेरा ब्लॉक अकलेरा	35	87.50
2	महिला एवं बाल विकास उपखण्ड झालावाड़ ब्लॉक बकानी	51	127.50
3	महिला एवं बाल विकास उपखण्ड भवानीमण्डी ब्लॉक भवानीमण्डी तहसील पचपहाड़	15	37.50
4	महिला एवं बाल विकास उपखण्ड गंगधार ब्लॉक डग	123	307.50
5	महिला एवं बाल विकास उपखण्ड झालावाड़ ब्लॉक झालरापाटन	46	115.00
6	महिला एवं बाल विकास उपखण्ड असनावर ब्लॉक झालरापाटन	34	85.00
7	महिला एवं बाल विकास उपखण्ड खानपुर ब्लॉक खानपुर	56	140.00
8	महिला एवं बाल विकास उपखण्ड मनोहरथाना ब्लॉक मनोहरथाना	41	102.50
	महिला एवं बाल विकास उपखण्ड पिड़ावा ब्लॉक पिड़ावा	71	177.50
	कुल योग	**472**	**1180.00**

कुल 567 विद्यालय भवनों हेतु राशि 1130.12 लाख एवं कुल 472 आंगनबाड़ी भवनों हेतु राशि 1180.00 लाख रूपये कुल 1039 कार्यो हेतु राशि रूपये 2310.12 लाख (अक्षरे:– तेबीस करोड़ दस लाख बारह हजार रू. मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. विभाग द्वारा राशि का निर्धारित एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है। अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों के रेस्टोरेशन पर न करें।

2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।
3. इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही मरम्मत कार्य प्रारम्भ किया जावेगा। यदि बजट आवंटन से पूर्व कोई कार्य प्रारम्भ करा लिया जाता है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी।
4. विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यो के लिए बजट की मांग एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।
5. बजट संबंधित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
6. वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नही है।
7. बजट ऑन–लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repaor (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़को के रेस्टोरेशन हेतु आपदा प्रबधंन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जावे।
8. कार्यकारी ऐजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी की वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनकी पूणतः जिम्मेदारी रहेगी।
9. **जिन विद्यालयों को अनुपयोगी/जर्जर चिन्हित किया गया है, ऐसे विद्यालय यदि प्रस्तावों में है तो उनके लिए स्वीकृत राशि का व्यय नहीं किया जावें। तथा आंगनबाड़ी भवन मरम्मत के प्रस्ताव में यदि किराये के भवनों को सम्मिलित किया गया है, तो उनके लिए स्वीकृत राशि का व्यय नहीं किया जावें।**
10. कार्यकारी ऐजेन्सी स्वीकृत कार्यो को प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
11. उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
12. प्रस्ताव में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावें। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
13. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य कराये जा सकेगें।
14. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा–निर्देश तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावें।
15. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिए ही किया जावे।
16. विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि का उपयोग जिन भवनों का उपयोग किया जा रहा है, उन भवनों की मरम्मत हेतु ही किया जावें।
17. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही की जावें। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षैप खाते में आहरण नही किया जावेगा।
18. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवायी जावें।
19. कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात् कार्यो का कर्া पूर्णतः प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।
20. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जावें।
21. आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग से स्वीकृत कार्यो का तखमीना तैयार कर यथाशीघ्र आवश्यक रूप से इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इसके उपरान्त ही सहायता विभाग से बजट मांग की जा सकेगी।

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़

22.बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय मे प्रस्तु करने पर बिलों के साथ कार्य आरम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात् जिओ टेग के साथ प्रथक–प्रथक फोटोग्राफ संलग्न करना सुनिश्चित करें।

23.आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावें।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड

क्रमाक एफ 03( )/13/आ.मो.नि./सहा./2025/ 1094 दिनांक 29/09/2025

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ.8(32)आ.प्रएवं.सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2025/17945762 दिनांक 24.09.2025 के क्रम में।
2. वित्तिय सलाहकार, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी झालावाड को विद्यालय भवनों के मरम्मत कार्य करवाये जाने हेतु कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि मरम्मत के कार्य को नियमानुसार करवाया जावें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्राथमिक झालावाड़।
5. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग झालावाड़ को प्रेषित कर लेख है कि महिला एवं बाल विकास उपखण्ड झालावाड़ ब्लॉक बकानी, महिला एवं बाल विकास उपखण्ड झालावाड़ ब्लॉक झालरापाटन, महिला एवं बाल विकास उपखण्ड असनावर, ब्लॉक झालरापझटन एवं महिला एवं बाल विकास उपखण्ड खानपुर ब्लॉक खानपुर के आंगनबाड़ी भवन के प्रस्ताव में विद्यालय भवनों, पंचायत के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी भवन के मरम्मत कार्यो को स्वीकृत नहीं किया गया है। उक्त प्रस्तावों में शेष कार्यो को स्वीकृत किया गया है।
6. अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग झालावाड़।
7. कोषाधिकारी कोष कार्यालय झालावाड़।
8. जिला परि0 समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान झालावाड़।
9. प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग स्थानीय कार्यालय।
10. रक्षित पत्रावली।

अति0 जिला कलक्टर
झालावाड

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़

क्रमांक–ई0ओ0सी0 / सहा0 / 2026 / 151 दिनांक 18 / 02 / 2026

प्रेषितः–

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव,
आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
राजस्थान जयपुर

विषयः– मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ी की मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु बजट मांग के संबंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय की मांग संख्या 02215 दिनांक 29.01.2026 एवं 02220 दिनांक 10.02.2026 के अनुसरण में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ी की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना के कार्यो की इस कार्यालय द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसके क्रम में संबंधित कार्यकारी ऐजेन्सी द्वारा तकमीना भिजवाये जाने पर डीएमआईएस पोर्टल पर ऑनलाईन मांग की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	बजट मांग संख्या	कार्य की संख्या	राशि (लाखों में)
1	02215 / 29.01.26	224	364.15
2	02220 / 10.02.26	42	73.97
कुल योग		266	438.12

उक्त बजट को आवंटित किये जाने की व्यवस्था फरमावें, ताकि वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर कार्य संपादित करवाये जा सके।

जिला कलक्टर
झालावाड़